संख्या 237 / II–2006–03(13) / 05

प्रेषक,

बी0 आर0 टम्टा,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तरांचल।

लघु सिंचाई विभाग — देहरादून : दिनांक 22 मार्च, 2006

विषय : वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आयोजनागत मदों में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 2296 / ल0सिं0 / जि0यो0 / 2005–06 दिनांक 04.03.2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2005–06 में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से रू0 77.50 (रूपये सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि जिसका विवरण संलग्नक में अंकित है को लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल वर्ष 2004–05 में सृजित देनदारियों के बिरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

क्रमश:............2

C:\Documents and Settings\SATYA PRAKASH\My Documents\M.I.Department\Ep.SING. M.I\RR\Budget 05-06 M.I\G.O. works.doc

5— मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण— पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6— कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7— विभागीय कार्य करने से पूर्व लघु सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैमास में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक की अनुदान सं0—20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 512/वि0 अनु0—4 /2006 दिनांक 22 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(बी0आर0 टम्टा)
संयुक्त सचिव

संख्या 237/।।—2006—03(13)/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— वित्त वित्त अनुभाग—4
3— श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट,अनुभाग, उत्तरॉचल शासन।
4— नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5— निजी सचिव, मा0 लघुसिंचाई मंत्री।
6— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
7— समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
8— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(बी0आर0 टम्टा)
संयुक्त सचिव

क्र सं	मद का नाम	देहरादून	हरिद्वार	टिहरी	उत्तरकाशी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	नैनीताल	ऊ0 सिंहनगर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	चम्पावत	यो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2702–लघु सिंचाई 80–सामान्य 052–मशीनरी तथा उपस्कर 03–नवीन सम्पूर्ति 26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	800–अन्य मद 91–जिला योजना 9101–लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिकलरों का निर्माण, 24–बृहद निर्माण कार्य	4.75	–	–	–	3.13	–	4.04	–	–	3.30	5.92	–	–	
	42–अन्य व्यय	0.94				4.20		5.10					2.00		
4	9103–गूल हौज एवं पाईप लाईन का निमार्ण, 25–लघु निर्माण कार्य	3.68	12.67	–	–	4.75	–	0.78	3.00	–	10.36	8.88	–	–	
5	9105–जनपदों में गोदामों का निमार्ण, 24–बृहद निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	9106–आर्टीजनों कूपों का निर्माण 24–बृहद निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	योग	*9.37*	*12.67*	–	–	*12.08*	–	*9.92*	*3.00*	–	*13.66*	*14.80*	*2.00*		

(रूपये सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र)

(बी0आर0टम्टा)
संयुक्त सचिव।